

an>

title: Ruling regarding suspension of Question Hour and Notices of Adjourment Motions.

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received a request from Shri K.C. Venugopal for suspension of Question Hour and one notice for adjournment motion by Shri Deepender Hooda. I think there is no provision in rules for suspension of Question Hour. आपने जो एडजर्नमेंट नोटिस दिया है, उसके विषय वगैरह सब मैंने देखा है। शून्य काल में मैं आपको एलाउ करूंगी, अभी मैं उसे एलाउ नहीं कर रही हूँ।

*m02

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैकैर्या नायडू) : माननीय अध्यक्ष जी, आप उसके लिए समय बताइए। गृह मंत्री जी उसका जवाब देंगे।

माननीय अध्यक्ष : जस्ट नाउ नहीं, यह अच्छा होगा कि उसे शून्य काल में उठाएं।